भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3572
दिनांक 24.07.2019/2 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

3572. श्री हुसैन दलवईः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध एसिड हमले, घरेलू शोषण, यौन उत्पीड़न इत्यादि जैसी हिंसा के मामलों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार के पास अस्पताल में दर्ज किए गए मामलों और उन्हीं मामलों को पुलिस थानों में दर्ज कराए जाने संबंधी आंकड़े हैं, गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितने मामलों का निपटान किया गया और कितने मामले लंबित हैं;
(ग) क्या सरकार ने अस्पताल में दाखिल पीड़ितों को राहत देने या विशेष मदद प्रदान करने के लिए कुछ किया है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) हिंसा के पीड़ितों की व्यक्तिगत रूप से देखभाल किये जाने संबंधी नीतियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कैसे लागू किया जाता है यदि कोई नीति नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में अपराधों से संबंधित आकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2016 तक के लिए उपलब्ध हैं। वर्ष 2014, 2015 और 2016 में तेजाब से हमले, घरेलू शोषण, यौन हमले आदि सहित महिलाओं के प्रति कुल अपराधों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): इस संबंध में केंद्रीय स्तर पर आकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल : यौन हिंसा के उत्तरजीवितों/पीड़ितों के लिए चिकित्सीय-विधिक देखभाल" तैयार किया है। इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वयन हेतु उनके दिनांक 17 अप्रैल, 2014 के पत्र के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। इन दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का उद्देश्य पीड़ितों के स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में आने या उनको लाए जाने पर यौन हिंसा के मामलों के दृष्टिकोण, उपचार तथा प्रलेखन में एकरूपता लाना, कार्रवाई की प्रक्रिया को हिंसा के उत्तरजीवितों/पीड़ितों के प्रति और अधिक संवेदनशील तथा मानवीय बनाना है। इन दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल को कार्यान्वित करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित कीं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा चण्डीगढ़ में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्थापित किए गए हैं।

केंद्रीय सरकार ने बलात्कार, तेजाब से हमले, यौन हमले आदि सहित विभिन्न अपराधों, विशेषकर यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 200

करोड़ रुपये का एक बारगी अनुदान जारी किया था। यह योजना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मौजूदा पीड़ित मुआवजा स्कीमों के अतिरिक्त थी।

उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11.05.2018 के आदेश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई स्कीम के अनुसार अपनी पीड़ित मुआवजा योजना को संशोधित करें तथा "यौन हमले/अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों/उत्तरजीवितों के लिए मुआवजा योजना-2018" को कार्यान्वित करें। तदनुसार, उत्तरजीवितों/पीड़ितों को राहत तथा सहायता प्रदान करने के लिए मुआवजे हेतु आवेदन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दाखिल किए जाते हैं।

****

रा.स.अ.प्र.सं. 3572

अनुलग्नक

वर्ष 2014-16 के दौरान महिलाओं के प्रति कुल अपराधों के अंतर्गत दर्ज राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014	2015	2016
1	आंध्र प्रदेश	16526	15967	16362
2	अरुणाचल प्रदेश	351	384	367
3	असम	19169	23365	20869
4	बिहार	15393	13904	13400
5	छत्तीसगढ़	6301	5783	5947
6	गोवा	508	392	371
7	गुजरात	10854	7777	8532
8	हरियाणा	9010	9511	9839
9	हिमाचल प्रदेश	1529	1295	1222
10	जम्मू और कश्मीर	3327	3366	2850
11	झारखंड	6086	6568	5453
12	कर्नाटक	14004	12775	14131
13	केरल	11451	9767	10034
14	मध्य प्रदेश	28756	24231	26604
15	महाराष्ट्र	26818	31216	31388
16	मणिपुर	337	266	253
17	मेघालय	390	337	372
18	मिजोरम	258	158	120
19	नागालैंड	68	91	105
20	ओडिशा	14651	17200	17837
21	पंजाब	5481	5340	5105
22	राजस्थान	31216	28224	27422
23	सिक्किम	111	53	153
24	तमिलनाडु	6354	5919	4463
25	तेलंगाना	14147	15425	15374
26	त्रिपुरा	1618	1267	1013
27	उत्तर प्रदेश	38918	35908	49262
28	उत्तराखंड	1413	1465	1588
29	पश्चिम बंगाल	38424	33318	32513
	कुल (राज्य)	**323469**	**311272**	**322949**
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	117	136	108
31	चंडीगढ़	434	468	414
32	दादरा एवं नगर हवेली	21	25	28
33	दमन एवं दीव	16	29	41
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	15319	17222	15310
35	लक्षद्वीप	4	9	9
36	पुदुचेरी	77	82	95
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**15988**	**17971**	**16005**
	कुल (अखिल भारत)	**339457**	**329243**	**338954**

स्रोत: भारत में अपराध